राजस्थान सरकार
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

दिनांक 01.01.2026 तक अद्यतन

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

अनुक्रमणिका

धारा	विवरण	पृष्ठ सं.
	अध्याय 1 **प्रारम्भिक**	
1	संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ	4
2	परिभाषाएं	5
3	लागू होना	8
	अध्याय 1 **उपापन** **क. साधारण सिद्धान्त**	
4	लोक उपापन के मूल सिद्धांत	9
5	उपापन की आवश्यकता का अवधारण	9
6	बोली लगाने वालों का भाग लेना	9
7	बोली लगाने वालों की अर्हताएं	10
8	उपापन के मूल्य से संबंधित बाध्यताएं	12
9	प्रक्रिया के लिए समय–सीमा	12
10	उपापन कार्यवाहियों और संसूचनाओं के दस्तावेजी अभिलेख	12
11	उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठा संहिता	13
12	उपापन की विषय वस्तु का वर्णन	15
13	एकल भाग या द्वि–भाग बोलियां	15
14	मूल्यांकन की कसौटी	16
15	कीमत की बातचीत	16
16	संविदा के निबंधन और शर्तें	17
17	राज्य लोक उपापन पोर्टल	17
18	बोली लगाने वालों की पूर्व–अर्हता	17
19	बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण	18
20	बोली दस्तावेजों की अन्वेस्तु	19
21	बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय–सीमा	19
22	बोली–पूर्व स्पष्टीकरण	20
23	बोली दस्तावेजों में परिवर्तन	20
24	बोलियों के प्रस्तुतीकरण, खोलने और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया	21
25	बोलियों का अपवर्जन	21
26	उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण	21
27	संविदा का अधिनिर्णय	22
	ख. पद्धति	
28	उपापन की पद्धति	23
29	खुली प्रतियोगी बोली	24
30	सीमित बोली	24
31	एकल स्त्रोत उपापन	25
32	द्वि–प्रक्रमी बोली	26
33	इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम	28
34	कोटेशनों और मौके पर क्रय के लिए अनुरोध	29
35	प्रतियोगी बातचीत	30
36	दर संविदा	31
37	उपापन की रीतियों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शर्तें	31

धारा	विवरण	पृष्ठ सं.
	अध्याय 3 **अपील**	
38	अपील	32
39	उपापन कार्यवाहियों को रोकना	34
40	कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी	34
	अध्याय 4 **अपराध और शास्तियां**	
41	लोक उपापन के संबंध में परितोषण या मूल्यवान वस्तु लेने के लिए दण्ड	35
42	उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप	35
43	तंग करने वाली अपीलें या परिवाद	36
44	कम्पनियों द्वारा अपराध	36
45	कतिपय अपराधों का दष्प्रेरण	37
46	बोली लगाने से विवर्जन	37
47	अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का आवश्यक होना	38
	अध्याय 5 **प्रकीर्ण**	
48	वृत्तिक मानकों, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की आवश्यकता	39
49	गोपनीयता	39
50	राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ	39
51	सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण	40
52	अन्य विधियों का लागू होना	41
53	अधिनियम के अधीन संदेय राशियों की वसूली	41
54	नोटिस, दस्तावेजों और आदेशों की तामील	41
55	राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति	41
56	मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति	43
57	कठिनाइयों का निराकरण	43
58	छूट देने की शक्ति	44
59	व्यावृत्तियां	44

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 22, 2012

संख्या प. 2 (27) विधि/2/2012.–राजस्थान विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 21 मई, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः–

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012*
(2012 का अधिनियम संख्यांक 21)
{राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 21 मई, 2012 को प्राप्त हुई}

उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता, बोली लगाने वालों के उचित एवं साम्यापूर्ण व्यवहार, प्रतियोगिता में अभिवृद्धि करने, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ाने और सत्यनिष्ठा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्यों सहित लोक उपापन और इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिए अधिनियम।

यतः राज्य सरकार लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदारी और ईमानदारी के उच्चतम स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए और लोक उपापन में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए इसे आवश्यक मानती है।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.**– (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख* से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करेः

** अधिसूचना संख्या प.1 (8) वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 24.01.2013, राज. राज. राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग)(।।) दिनांक 24.1.2013 में प्रकाशित (26.1.2013 से प्रभावी)।*

एस.ओ.217:– *राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 1 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा 26 जनवरी, 2013 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।*

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ के सम्बन्ध में ऐसे किसी उपबंध के किसी निर्देश से यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवर्तन के प्रति कोई निर्देश है।

2. **परिभाषाएं.–** इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) "बोली" से किसी उपापन संस्था द्वारा किसी आमंत्रण के अनुसरण में किया गया कोई औपचारिक प्रस्ताव अभिप्रेत है और इसमें कोई निविदा, प्रस्थापना या कोटेशन सम्मिलित है;

(ii) "बोली लगाने वाला" से किसी उपापन संस्था के साथ किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(iii) "बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज" से किसी उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये दस्तावेज, ऐसे किन्हीं संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, जो रजिस्ट्रीकरण कार्यवाहियों के निबंधन और शर्तें उपवर्णित करें, अभिप्रेत हैं और इसमें रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आमंत्रण सम्मिलित है;

(iv) "बोली दस्तावेज" से उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये दस्तावेज, ऐसे किन्हीं संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, जो किये गये उपापन के निबंधन और शर्तें उपवर्णित करें, अभिप्रेत हैं और इसमें बोली के लिए आमंत्रण सम्मिलित है;

(v) "बोली की प्रतिभूति" से बोली के दस्तावेजों के उपबंधों के निबंधनानुसार किसी बाध्यता की पूर्ति को प्रतिभूत करने के लिए किसी बोली लगाने वाले द्वारा उपापन संस्था को उपलब्ध करायी गयी कोई प्रतिभूति अभिप्रेत है;

(vi) "इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम" से उपापन संस्था द्वारा सफल अनुरोध को चयनित करने के लिए उपयोग की गयी ऑनलाइन वास्तविक–समय क्रय तकनीक अभिप्रेत है जिसमें बोली लगाने वालों द्वारा नियत समय की कालावधि के दौरान क्रमवर्ती रूप से कम होती हुई बोलियों के संबंध में प्रस्तुति और बोलियों का स्वचालित मूल्यांकन अन्तर्वलित है;

(vii) "माल" में समस्त वस्तुएं, सामग्री, विक्रयवस्तुएं, विद्युत, पशुधन, फर्नीचर, फिक्सचर, कच्ची सामग्री, स्पेअर, उपकरण, साफ्टवेअर, मशीनरी, उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, यान, वायुयान, जलयान, रेलवे रॉलिंग स्टॉक और माल का कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वह ठोस, तरल, या गैसीय रूप में

हो, किसी उपापन संस्था के उपयोग के लिए क्रय किया गया हो या अन्यथा अर्जित किया गया हो साथ ही माल के प्रदाय से आनुषंगिक सेवाएं या संकर्म, यदि ऐसी सेवाएं या संकर्म या दोनों का मूल्य स्वयं उस माल के मूल्य से अधिक न हो, सम्मिलित हैं;

(viii) "बोली लगाने के लिए आमंत्रण" से उपापन संस्था द्वारा उपापन की विषयवस्तु और उसके किसी संशोधन के सम्बन्ध में बोलियां आमंत्रित करते हुए प्रकाशित कोई दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस और प्रस्थापना के लिए अनुरोध सम्मिलित है;

(ix) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(x) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(xi) "पूर्व–अर्हता" से बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व, ऐसे बोली लगाने वालों की, जो अर्हित हैं, पहचान करने की उपवर्णित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xii) "पूर्व–अर्हता के दस्तावेज" से उपापन संस्था द्वारा जारी किये दस्तावेज, जिसमें ऐसे किन्हीं संशोधनों को सम्मिलित करते हुए जो पूर्व–अर्हता की कार्यवाहियों के निबंधन और शर्तें उपवर्णित करें, अभिप्रेत हैं और इसमें अर्हित होने से पूर्व का आमंत्रण सम्मिलित है;

(xiii) "उपापन" या "लोक उपापन" से किसी उपापन संस्था द्वारा चाहे प्रत्यक्षतः या किसी अभिकरण, जिसके साथ उपापन सेवाओं के लिए कोई संविदा की गयी है, के माध्यम से लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अधिनिर्णय सहित संकर्म, माल या सेवाओं के क्रय, पट्टे, अनुज्ञप्ति या अन्यथा द्वारा अर्जन अभिप्रेत है, किन्तु इसमें प्रतिफल के बिना अर्जन सम्मिलित नहीं है, और "उपाप्त करना" या "उपाप्त" का अर्थान्वयन तदनुसार किया जायेगा;

(xiv) "उपापन संविदा" से उपापन संस्था और किसी सफल बोली लगाने वाले के बीच उपापन की विषयवस्तु के सम्बन्ध में की गयी संविदा अभिप्रेत है;

(xv) "उपापन प्रक्रिया" से अर्हित होने से पूर्व का आमंत्रण जारी होने से या रजिस्ट्रीकृत किये जाने या बोली लगाये जाने से विस्तारित होकर उपापन संविदा के अधिनिर्णय या, यथास्थिति, उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण तक, उपापन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xvi) "उपापन संस्था" से धारा 3 की उप–धारा (2) में निर्दिष्ट कोई संस्था अभिप्रेत है;

(xvii) "लोक निजी भागीदारी" से किसी विनिर्दिष्ट समय की कालावधि के लिए प्राइवेट सेक्टर संस्था द्वारा किये जा रहे विनिधान या जिम्मे लिये जा रहे प्रबंध या दोनों के माध्यम से लोक आस्तियों या लोक सेवाओं या दोनों के लिए एक ओर राज्य सरकार, कानूनी संस्था या सरकार के स्वामित्वाधीन कोई अन्य संस्था और दूसरी ओर किसी प्राइवेट सेक्टर संस्था के बीच, जहां प्राइवेट सेक्टर और राज्य सरकार, कानूनी संस्था या, यथास्थिति, सरकार के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संस्था के बीच जोखिम का सुपरिभाषित आबंटन हो, और प्राइवेट संस्था कार्य आधारित संदाय प्राप्त करती हो जो विनिर्दिष्ट और पूर्वावधारित कार्य मानकों के अनुरूप (या बेंचमार्क का) हो, राज्य सरकार, कानूनी संस्था या सरकार के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संस्था, या, यथास्थिति, उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमान योग्य हो, कोई इंतजाम अभिप्रेत है;

(xviii) "दर संविदा" से किसी उपापन संस्था और एक या अधिक बोली लगाने वालों के बीच कोई करार अभिप्रेत है जो किसी आवर्ती आधार पर अपेक्षित उपापन की किसी विषयवस्तु के प्रदाय के लिए कीमत सहित निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करे;

(xix) "रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाला" से ऐसा कोई बोली लगाने वाला अभिप्रेत है जो उपापन संस्था की धारा 19 के अधीन संधारित रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची में है;

(xx) "सेवा" से माल या संकर्म से भिन्न उपापन की कोई विषयवस्तु अभिप्रेत है और इसमें शारीरिक, अनुरक्षण, वृत्तिक, बौद्धिक, परामर्श और सलाहकारी सेवाएं या कोई सेवा, जो किसी उपापन संस्था द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत या घोषित हो, सम्मिलित है और इसमें उपापन संस्था द्वारा की गयी किसी व्यक्ति की नियुक्ति सम्मिलित नहीं है;

(xxi) "उपापन की विषयवस्तु" से उपापन की कोई भी मद अभिप्रेत है चाहे वह माल, सेवा या संकर्म के रूप में हो;

(xxii) "संकर्म" से सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, स्थल तैयारी, विध्वंस, मरम्मत, अनुरक्षण, या नवीकरण या रेलवे, सड़क, राजमार्ग या कोई भवन, कोई अवसंरचना, या ढ़ांचा या कोई प्रतिष्ठान या उत्खनन से संबंधित कोई सन्निर्माण कार्य, ड्रिल करना, उपस्कर का प्रतिष्ठान और सामग्री साथ ही संकर्म से आनुषंगिक सेवाएं अभिप्रेत हैं यदि ऐसी सेवाओं का मूल्य स्वयं उन संकर्मों के मूल्य से अधिक न हो।

3. **लागू होना.–** (1) यह अधिनियम उप–धारा (2) में निर्दिष्ट समस्त उपापन संस्थाओं पर लागू होगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "उपापन संस्था" से,–

(क) राज्य सरकार का कोई भी विभाग या इससे संलग्न या उसका अधीनस्थ कार्यालय;

(ख) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम;

(ग) संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय, जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है;

(घ) राज्य विधान–मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये) या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय;

(ड.) कोई अन्य संस्था, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी उपापन संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट करे, जो ऐसी संस्था होने के कारण, जहां तक उपापन के पेटे ऐसी सहायता के उपयोग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से सारवान् वित्तीय सहायता प्राप्त करती हो,

अभिप्रेत है।

(3) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध किसी करार,–

(क) जो केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ या अन्तरसरकारी अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संस्था के साथ किया गया हो; या

(ख) जिसमें किसी एक या अधिक अन्य राज्य सरकारों के साथ या केन्द्र सरकार के साथ वह पक्षकार हो,

के अधीन या से उद्‌भूत राज्य सरकार की किसी बाध्यता के अध्यधीन रहते हुए किसी उपापन संस्था पर लागू होंगे और ऐसे करार की अपेक्षाएं इस अधिनियम के उपबंधों पर अभिभावी होंगी।

(4) धारा 4 और 11 के उपबंधों से संगत इस निमित्त बनाये गये ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अध्याय 2 और 3 के उपबंध ऐसे किसी उपापन पर लागू नहीं होंगे, जिसकी प्राक्कलित कीमत या मूल्य एक लाख रुपये या ऐसे उच्चतर मूल्य, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से कम है।

अध्याय 2

उपापन

क. साधारण सिद्धांत

4. लोक उपापन के मूल सिद्धांत.– (1) लोक उपापन के सम्बन्ध में उपापन संस्था का–

(क) दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का;

(ख) बोली लगाने वालों से उचित और साम्यापूर्ण व्यवहार करने का;

(ग) प्रतियोगिता में अभिवृद्धि करने का; और

(घ) भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करने का उत्तरदायित्व और जवाबदारी होगी।

(2) धारा 3 की उप–धारा (3) के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक उपापन संस्था इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अपने उपापन को कार्यान्वित करेगी।

5. उपापन की आवश्यकता का अवधारण.– (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये उपापन के प्रत्येक मामले में उपापन संस्था पहले उपापन की विषय वस्तु की आवश्यकता आवधारित करेगी।

(2) उपापन संस्था, उप–धारा (1) के अधीन आवश्यकता निर्धारित करते समय, उपापन की प्राक्कलित लागत का ध्यान रखेगी और निम्नलिखित मामलों पर विनिश्चय भी करेगी, अर्थात्;

(क) उपापन का विस्तार या परिमाण, यदि अवधारित हो;

(ख) उपापन की अपनायी जाने वाली पद्धति उसके न्यायोचित्य सहित;

(ग) पूर्व–अर्हता की आवश्यकता, यदि कोई हो;

(घ) धारा 6 के निबंधनों के अनुसार बोली लगाने वालों के भाग लेने पर परिसीमा, यदि कोई लागू हो, और उसका न्यायोचित्य; और

(ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(3) उपापन संस्था उप–धारा (1) के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण और उप–धारा (2) के अधीन किये गये निर्धारण के सम्बन्ध में दस्तावेजों का अनुरक्षण करेगी।

6. बोली लगाने वालों का भाग लेना.– (1) उपापन संस्था, सिवाय इसके जब इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित हो, उपापन प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने के किसी उद्देश्य

की, जो बोली लगाने वालों के विरूद्ध या उनके मध्य या उनके किसी प्रवर्ग के विरूद्ध विभेद करे, अपेक्षा नहीं करेगी।

(2) राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, बोली लगाने वालों के किसी प्रवर्ग से उपापन की किसी विषय वस्तु के आज्ञापक उपापन के लिए, और बोली लगाने वालों के किसी प्रवर्ग से उपापन में क्रय या कीमत अधिमान के लिए निम्नलिखित आधारों पर उपबन्ध कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) घरेलू उद्योग की अभिवृद्धि;

(ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीति;

(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सम्यक् रूप से अधिसूचित किसी नीति को अग्रसर करने में लोकहित में कोई भी अन्य प्रतिफल;

परन्तु ऐसी किसी भी अधिसूचना में ऐसे आज्ञापक या अधिमानी उपापन, चुने हुए प्रदायकर्ताओं के प्रवर्ग और उपबंधित अधिमान की प्रकृति का युक्तियुक्त औचित्य अन्तर्विष्ट होगा।

(3) उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को आमंत्रित करते समय, यह घोषित करेगी कि आया बोली लगाने वालों का भाग लेना इस धारा के अनुसरण में है और किस आधार पर सीमित है तथा ऐसी कोई घोषणा साधारणतया बाद में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी।

(4) इस धारा की किसी भी बात का अर्थ, राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था को –

(क) लोक आदेश, सदाचार या सुरक्षा को संरक्षित करने;

(ख) मानव, पशु या वनस्पति जीवन या उनके स्वास्थ्य को संरक्षित करने;

(ग) बौद्धिक सम्पति को संरक्षित करने;

(घ) भारत की आवश्यक सुरक्षा और युद्धनीतिक हित को संरक्षित करने,

की आवश्यकता के कारण भाग लेने को सीमित करने के उपाय अधिरोपित करने या प्रवर्तित करने से निवारित करने के रूप में नहीं लगाया जायेगा।

7. बोली लगाने वालों की अर्हताएं.– (1) उपापन संस्था, किसी बोली लगाने वाले के उपापन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्हित होने के लिए उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक अपेक्षाओं को अवधारित और लागू कर सकेगी।

(2) उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी बोली लगाने वाला–

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धकीय स्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करेगा;

(ख) ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगा;

(ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा;

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं;

(ड.) ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करे;

(च) कोई भी अन्य अर्हताएं, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगा।

(3) बोली लगाने वालों की उनकी बौद्धिक सम्पति या व्यापार सम्बन्धी गोपनीय बातों को संरक्षित करने के अधिकार के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले से ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध कराने या घोषणा करने की अपेक्षा कर सकेगी जो वह उप–धारा (1) के अनुसार कोई मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझे।

(4) इस धारा के अनुसरण में स्थापित कोई भी अपेक्षा पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में, यदि कोई हों, और बोली दस्तावेजों में उपवर्णित की जायेगी और समस्त बोली लगाने वालों पर समान रूप से लागू होगी।

(5) उपापन संस्था इस धारा में विनिर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार ही बोली लगाने वालों की अर्हताओं का मूल्यांकन करेगी।

8. उपापन के मूल्य से सम्बन्धित बाध्यताएं.– (1) प्रत्येक उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी, जिसके पास आवश्यक वित्तीय शक्तियां हों।

(2) उपापन संस्था, उप–धारा (1) के अधीन अपनी बाध्यताओं से बचने या बोली लगाने वालों के मध्य प्रतियोगिता को सीमित करने या इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं से अन्यथा बचने के लिए, उपापन के मूल्य को प्राक्कलित करने हेतु न तो अपने उपापन को विभाजित करेगी और न ही किसी मूल्यांकन रीति विशेष का उपयोग करेगीः

परन्तु दक्षता, मितव्ययिता और समय पर पूर्णता या प्रदाय के हित में उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अपने उपापन को समुचित पैकेजों में विभाजित कर सकेगी।

9. प्रक्रिया के लिए समय–सीमा.– (1) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, प्रत्येक उपापन संस्था उपापन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों की पूर्णता के लिए कोई युक्तियुक्त समय–सीमा पूर्व–अवधारित करेगी और उसे पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित करेगी।

(2) उपापन संस्था उप–धारा (1) के अधीन उपदर्शित समय–सीमा का पालन करने का प्रयास करेगी और ऐसा करने में विफल रहने की दशा में ऐसी समय–सीमा को, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, बढ़ायेगी।

10. उपापन कार्यवाहियों और संसूचनाओं के दस्तावेजी अभिलेख.– (1) उपापन संस्था अपनी उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण से सम्बन्धित दस्तावेज;

(ख) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन;

(ग) धारा 29 की उप–धारा (4) के अधीन खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न किसी उपापन की पद्धति के चुनाव के लिए कारण का कथन;

(घ) भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टियां;

(ड.) बोली–पूर्व सम्मेलनों के दौरान सहित स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध और उनके कोई भी प्रत्युत्तर;

(च) बोली की कीमतें और अन्य वित्तीय निबंधन;

(छ) बोलियों के मूल्यांकन का सारांश;

(ज) धारा 38 के अधीन किसी अपील के ब्यौरे, और उनसे सम्बन्धित विनिश्चय;

(झ) कोई भी अन्य सूचना या अभिलेख, जैसा विहित किया जाये।

(2) धारा 38 के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में या किसी बैठक के अनुक्रम सहित किसी उपापन के अनुक्रम में तैयार किये गये या उपापन प्रक्रिया के अभिलेख का भाग कोई दस्तावेज, अधिसूचना, विनिश्चय या कोई अन्य सूचना ऐसे किसी रूप में होगी, जो सूचना की अन्तर्वस्तु का अभिलेख उपलब्ध कराती हो और सुगम हो, ताकि पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग किये जाने योग्य हो।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) या अभिलेखों के प्रतिधारण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया या, यथास्थिति, उपापन संविदा के अवसान के पश्चात् किसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए उप–धारा (1) और (2) में उपदर्शित दस्तावेजी अभिलेख को प्रतिधारित करेगी ताकि लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य पुनर्विलोकन को समर्थ बनाये।

11. उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठा संहिता.– (1) किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट सत्यनिष्ठा संहिता में,–

(क) (i) उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान–प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का;

(ii) किसी दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके;

(iii) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी–विरोधी व्यवहार का;

(iv) उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का;

(v) बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार सम्बन्धी संव्यवहारों का;

(vi) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार का या उसकी सम्पति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीड़न का;

(vii) किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का;

प्रतिषेध करने,

(ख) हित के विरोध का प्रकटीकरण करने;

(ग) अन्तिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के सम्बन्ध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के सम्बन्ध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने,

के उपबन्ध सम्मिलित हैं।

(3) अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगीः–

(क) उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन;

(ख) संविदा–पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना;

(ग) उपापन से सम्बन्धित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना;

(घ) उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली;

(ड.) उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली;

(च) उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

12. उपापन की विषय वस्तु का वर्णन.– (1) उपापन की विषय वस्तु का वर्णन पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों और बोली दस्तावेजों में उपवर्णित किया जायेगा और –

(क) ऐसा होगा, जो उपापन संस्था की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके;

(ख) यथासाध्य सीमा तक–

(i) वस्तुनिष्ठ, कार्यपरक, वर्गगत और नापने योग्य होगा;

(ii) सुसंगत तकनीकी, गुणवत्ता और कार्य की विशेषताएं उपवर्णित होंगी;

(iii) किसी विशेष व्यापार चिह्न, व्यापार नाम या ब्राण्ड के लिए आवश्यकता को उपदर्शित नहीं किया जायेगा;

(ग) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जायेगा, जो विहित किये जायें।

(2) यथासाध्य सीमा तक, जहां लागू हो, तकनीकी विनिर्देश राष्ट्रीय तकनीकी विनियमों या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मानकों या भवन संहिताओं पर, जहां कहीं भी ऐसे मानक विद्यमान हों, आधारित होगा या उनकी अनुपस्थिति में सुसंगत अन्तरराष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया जा सकेगा।

13. एकल भाग या द्वि–भाग बोलियां.– (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अध्यधीन, कोई उपापन संस्था –

(क) ऐसी बोलियां, जिनमें तकनीकी, गुणवत्ता और कार्य पहलू, वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें और कीमत सहित वित्तीय पहलू एकल लिफाफे में अन्तर्विष्ट हैं, आमंत्रित करने का चुनाव कर सकेगी; या

(ख) यदि ऐसी राय हो कि इसके वित्तीय पहलू पर विचार करने से पूर्व किसी बोली के तकनीकी पहलू को मूल्यांकित करना आवश्यक है तो बोलियां दो लिफाफों में आमंत्रित करने का चुनाव कर सकेगी, अर्थात्:–

(i) तकनीकी, गुणवता और कार्य पहलुओं, वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करते हुए तकनीकी–वाणिज्यिक बोली; और

(ii) कीमत सहित वित्तीय पहलू अन्तर्विष्ट करते हुए वित्तीय बोली।

(2) यदि उपापन संस्था उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के निबंधनों के अनुसार बोलियां आमंत्रित करती है तो पहले तकनीकी–वाणिज्यिक बोली खोली और मूल्यांकित की जायेगी और केवल उन बोलियों की वित्तीय बोली, जो तकनीकी रूप से स्वीकार्य होती है, खोली और मूल्यांकित की जायेगी।

14. मूल्यांकन की कसौटी.– (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या मार्गदर्शक सिद्धांतों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल्यांकन कसौटी उपापन की विषय वस्तु से सम्बन्धित होगी और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगाः–

(क) कीमत;

(ख) माल या संकर्म के प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत की लागत, माल के परिदान का समय, संकर्म का पूरा होना या सेवाओं का उपबंध, उपापन की विषय वस्तु की विशेषताएं जैसे माल या संकर्म की क्रियाशील विशेषताएं और विषय वस्तु की परिवेशी विशेषताएं, उपापन की विषय वस्तु के बारे में संदाय और गारण्टी सम्बन्धी निबंधन; और

(ग) जहां सुसंगत हो, बोली लगाने वाले का और उपापन की विषय वस्तु उपलब्ध कराने में अन्तर्वलित होने वाले किसी कार्मिक का अनुभव, विश्वसनीयता और वृत्तिक तथा तकनीकी सक्षमता।

(2) जहां आवश्यक माना जाये, उपापन संस्था परीक्षण, नमूना जांच और किसी बोली के तकनीकी मूल्यांकन की अन्य अतिरिक्त पद्धति भी विनिर्दिष्ट करेगी;

परन्तु ऐसे परीक्षणों, नमूना जांच या मूल्यांकन की अतिरिक्त पद्धति की आवश्यकता बोली दस्तावेजों में उपदर्शित की जायेगी और ऐसे परीक्षण और जांच का अभिलेख ऐसी रीति से रखा जायेगा, जो विहित की जाये।

(3) यथासाध्य सीमा तक, समस्त गैर–कीमत मूल्यांकन कसौटी वस्तुनिष्ठ और अनुमान्य होगी।

(4) इस बात को सम्मिलित करते हुए कि क्या धारा 6 की उप–धारा (2) में अधिकथित अपेक्षाएं लागू होती हैं, बोलियों के मूल्यांकन की कसौटी बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट होगी।

(5) जहां लागू हो, प्रत्येक कसौटी से संलग्न की जाने वाले सापेक्ष महत्व को बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) बोली के मूल्यांकन में उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में उल्लिखित से भिन्न किसी कसौटी या प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जायेगा।

15. कीमत की बातचीत.– धारा 31 या धारा 35 में या ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जायें, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी उपापन संस्था द्वारा किसी बोली लगाने वाले के साथ, उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी बोली के सम्बन्ध में, कीमत की कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी।

16. संविदा के निबंधन और शर्तें.– (1) की गयी उपापन संविदाओं के निबंधन और शर्तें इस अधिनियम, लागू नियमों और बोली दस्तावेजों में उपदर्शित शर्तों के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) राज्य सरकार संविदा के मानक निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी जो उपापन संस्थाओं द्वारा की गयी उपापन संविदाओं में, जो लागू हों, सम्मिलित की जायेंगी।

17. राज्य लोक उपापन पोर्टल.– (1) राज्य सरकार लोक उपापन के सम्बन्ध में मामलों की प्रविष्टि हेतु एक राज्य लोक उपापन पोर्टल स्थापित और संधारित करेगी, जो जनता के लिए सुगम हो।

(2) प्रत्येक उपापन संस्था उपापन से सम्बन्धित सूचना को, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन यथा अपेक्षित, उप–नियम (1) में निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रकाशित करवायेगी।

(3) उप–धारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य लोक उपापन पोर्टल इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित उपापन के बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करायेगा, अर्थात्:–

(क) पूर्व–अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हों और उसके शुद्धि–पत्र;

(ख) पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है;

(ग) पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची;

(घ) धारा 25 के अधीन कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची;

(ड.) धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय;

(च) सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा;

(छ) बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, की विशिष्टियां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि;

(ज) कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

18. बोली लगाने वालों की पूर्व–अर्हता.– (1) कोई उपापन संस्था, बोली आमंत्रित करने से पूर्व, ऐसे बोली लगाने वालों की पहचान करने के उद्देश्य से, जो किसी भी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अर्हित हैं, पूर्व–अर्हता प्रक्रिया में लग सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई उपापन संस्था, पूर्व–अर्हता के लिए आमंत्रण हेतु व्यापक प्रचार द्वारा भावी बोली लगाने वालों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगी और ऐसे बोली लगाने वालों की, जो अर्हित हैं, विशिष्टियों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित करेगी।

(3) जहां किसी उपापन संस्था ने किसी भी उपापन के संबंध में पूर्व–अर्हता प्रक्रिया का जिम्मा लिया है, वहां केवल ऐसे पूर्व–अर्ह बोली लगाने वाले ही उपापन कार्यवाहियों में बने रहने के हकदार होंगे।

(4) उपापन संस्था यह विनिश्चित करेगी कि धारा 7 और पूर्व–अर्हता दस्तावेजों में उप–वर्णित कसौटी के अनुसार कौन पूर्व–अर्ह है।

(5) प्रत्येक पूर्व–अर्हता प्रक्रिया ऐसी रीति और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी, जो विहित की जाये।

19. बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण.– (1) उपापन की विषय वस्तु या उपापन के किसी वर्ग के लिए ऐसे विश्वसनीय स्रोत स्थापित करने के उद्देश्य से, जो उपापन संस्थाओं के मध्य सामान्य रूप से अपेक्षित हैं या किसी उपापन संस्था द्वारा बार–बार अपेक्षित हैं, कोई उपापन संस्था, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों का पैनल संधारित कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई उपापन संस्था रजिस्ट्रीकरण के लिए आमंत्रण हेतु व्यापक प्रचार द्वारा भावी बोली लगाने वालों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगी और ऐसा रजिस्ट्रीकरण धारा 7, इस धारा और बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपापन संस्थाएं, संभावी बोली लगाने वालों को रजिस्ट्रीकरण के लिए लगातार आवेदन करने हेतु अनुज्ञात करके या एक वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करके, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची को अद्यतन करेगी।

(4) राज्य सरकार, बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और शर्तें और वह कालावधि, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य होगा, विहित कर सकेगी।

(5) जहां कोई उपापन संस्था, उपापन की विषय वस्तु के संबंध में बोली लगाने वालों को रजिस्ट्रीकृत नहीं करती है, वहां वह किसी अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची, यदि कोई हो, का उपयोग कर सकेगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का परिणाम बोली लगाने वालों को सूचित किया जायेगा और उपापन की विषय वस्तु के लिए रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित की जायेगी।

20. बोली दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु.– (1) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित बनाये जायें, बोली के आमंत्रण में,–

(क) उपापन की विषय वस्तु का सक्षिप्त वर्णन;

(ख) निम्नलिखित के उपापन के मामले,–

(i) माल, उसकी प्रकृति, परिमाण और परिदान के स्थान को सम्मिलित करते हुए, उसके विनिर्देश;

(ii) संकर्म, संकर्म की प्रकृति और अवस्थिति;

(iii) सेवा, सेवाओं की प्रकृति और वह अवस्थिति जहां वे उपलब्ध करवायी जानी हैं;

(ग) धारा 6 के निबंधनों के अनुसार बोली लगाने वालों के भाग लेने की परिसीमा का कोई भी नोटिस;

(घ) बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए रीति, तारीख और समय;

(ड़) कोई भी अन्य सूचना, जो इस प्रयोजन के लिए उपापन संस्था द्वारा, सुसंगत समझी जाये,

अन्तर्वलित होगी।

(2) विस्तृत बोली दस्तावेज में, बोली के आमंत्रण में सम्मिलित विशिष्टियां, बोलियों के मूल्यांकन के लिए कसौटी, उपापन संविदा के निबंधन, और ऐसी सूचना, जो विहित की जाये, जो बोली लगाने वालों के लिए उनकी बोली प्रस्तुत करने में आवश्यक हो, अन्तर्विष्ट होगी।

(3) राज्य सरकार, बोली दस्तावेजों में सम्मिलित किये जाने के लिए, इसके प्ररूप सहित मानक शर्तें विहित कर सकेगी।

21. बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय–सीमा.– (1) अन्तिम तारीख, जिस तक बोली लगाने वालों द्वारा बोलियां प्रस्तुत की जानी हैं, नियत करते समय उपापन संस्था निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी,–

(क) बोली लगाने वालों के लिए अपनी बोलियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता; और

(ख) उपापन के लिए परिकल्पित समय–सीमा।

(2) धारा 23 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम समय, जो बोलियां प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाये, समस्त बोली लगाने वालों के लिए समान होगा।

22. बोली–पूर्व स्पष्टीकरण.– (1) कोई भी बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेजों के संबंध में, उपापन संस्था से, लिखित में स्पष्टीकरण मांग सकेगा।

(2) वह कालावधि जिसके भीतर–भीतर बोली लगाने वाला उप–धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण मांग सकेगा और वह कालावधि, जिसके भीतर–भीतर उपापन संस्था स्पष्टीकरणों के लिए ऐसे अनुरोधों का जवाब देगी, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(3) स्पष्टीकरणों के लिए समस्त अनुरोध और उनके जवाब समस्त बोली लगाने वालों को सूचित किये जायेंगे और जहां लागू हो, वहां राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेंगे।

(4) कोई उपापन संस्था, किसी उपापन विशेष के संबंध में संभावी बोली लगाने वालों के संदेहों को दूर करने के लिए एक बोली–पूर्व सम्मेलन आयोजित कर सकेगी और ऐसे सम्मेलन के अभिलेख समस्त बोली लगाने वालों को सूचित किये जायेंगे और जहां लागू हो, राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेंगे।

23. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन.– (1) यदि किन्हीं बोली दस्तावेजों में कोई उपांतरण किया जाता है या कोई ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया जाता है जो बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान् रूप से प्रभावित करता है तो उपापन संस्था, ऐसे उपांतरण या स्पष्टीकरण को उसी रीति से प्रकाशित करेगी, जैसे प्रारंभिक बोली दस्तावेजों का प्रकाशन करती है।

(2) यदि किसी बोली दस्तावेज में कोई स्पष्टीकरण या उपांतरण जारी किया जाता है तो उपापन संस्था, बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व, बोली लगाने वालों को, उनकी बोलियां प्रस्तुत करते समय, स्पष्टीकरण या, यथास्थिति, उपांतरण को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त समय अनुज्ञात करने के लिए ऐसी समय सीमा बढ़ा सकेगी।

(3) किसी भी बोली लगाने वाले को, जिसने मूल आमंत्रण के जवाब में अपनी बोली प्रस्तुत कर दी है, मूल रूप से आबंटित समयावधि या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर–भीतर, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाये, बोली को उपांतरित या, यथास्थिति, पुनः प्रस्तुत करने का अवसर होगा, जब उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में परिवर्तन किये जाते हैं:

परंतु अंत में प्रस्तुत बोली या बोली लगाने वाले के द्वारा यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जायेगा।

24. बोलियों के प्रस्तुतीकरण, खोलने और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया.– ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो बोली दस्तावेजों में अधिकथित की जायें, बोलियों का प्रस्तुतिकरण, बोलियों का खोलना और मूल्यांकन, उन प्रयोजनों के लिए समितियों के गठन को सम्मिलित करते हुए, ऐसे नियमों के अनुसार होगा, जो विहित किये जायें।

25. बोलियों का अपवर्जन.– (1) कोई उपापन संस्था किसी बोली को अपवर्जित करेगी यदि–

(क) बोली लगाने वाला धारा 7 के निबंधनों के अनुसार अर्हित नहीं है;

(ख) बोली सारवान् रूप से, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से अलग है या इसमें मिथ्या सूचना अन्तर्विष्ट है;

(ग) बोली प्रस्तुत करने वाला बोली लगाने वाला, उसका अभिकर्ता या उसके निमित्त काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उपापन संस्था या अन्य सरकारी प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई परितोषण, किसी भी रूप में, या किसी मूल्यवान वस्तु के रूप में, देता है या देने की सहमति देता है, ताकि उपापन प्रक्रिया को असम्यक् रूप से प्रभावित किया जाये;

(घ) उपापन संस्था की राय में, किसी बोली लगाने वाले का निष्पक्ष प्रतियोगिता को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाला विरोधी हित हो।

(2) कोई बोली अपवर्जित की जायेगी जैसे ही उसके अपवर्जन के कारण का पता चलता है।

(3) किसी उपापन संस्था का किसी बोली को अपवर्जित करने का प्रत्येक विनिश्चय लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से होगा।

(4) उपापन संस्था का उप–धारा (3) के अधीन लिया गया प्रत्येक विनिश्चय –

(क) संबंधित बोली लगाने वाले को लिखित में संसूचित किया जायेगा;

(ख) राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किया जायेगा।

26. उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण.– (1) कोई उपापन संस्था लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उसके द्वारा प्रारंभ की गयी उपापन की प्रक्रिया –

(क) सफल बोली की स्वीकृति से पूर्व किसी भी समय; या

(ख) सफल बोली स्वीकृत होने के पश्चात्,

उप–धारा (4) और (5) के अनुसार रद्द कर सकेगी।

(2) उपापन संस्था, उपापन को रद्द करने का विनिश्चय करने के पश्चात् किसी भी बोली या प्रस्थापना को नहीं खोलेगी और ऐसे बिना खुली बोलियों या प्रस्थापनाओं को लौटायेगी।

(3) उपापन संस्था के किसी उपापन को रद्द करने का विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण समस्त बोली लगाने वालों को, जिन्होंने उस उपापन प्रक्रिया में भाग लिया है, तुरंत संसूचित किये जायेंगे।

(4) यदि कोई बोली लगाने वाला, जिसकी बोली सफल बोली के रूप में स्वीकार कर ली गयी हो, यथा–अपेक्षित किसी भी लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, या संविदा के निष्पादन के लिए अपेक्षित कोई भी प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में विफल रहता है तो उपापन संस्था प्रक्रिया रद्द कर सकेगी।

(5) यदि कोई बोली लगाने वाले को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तो उपापन संस्था –

(क) सुसंगत उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगी, यदि दोषसिद्ध बोली लगाने वाले की बोली सफल बोली के रूप में घोषित की गयी है, किन्तु कोई उपापन संविदा नहीं की गयी है;

(ख) सुसंगत संविदा को विखंडित कर सकेगी या संविदा मूल्य के संपूर्ण संदाय या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगी, यदि उपापन संविदा उपापन संस्था और दोषसिद्ध बोली लगाने वाले के बीच की गयी है।

27. संविदा का अधिनिर्णय.– (1) उपापन संस्था, धारा 25 और धारा 6 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी बोली को –

(क) जहां केवल कीमत ही अधिनिर्णय की कसौटी है, वहां न्यूनतम बोली कीमत वाली बोली को;

(ख) जहां कीमत और अन्य अधिनिर्णय कसौटी हैं, वहां कसौटी और बोली के मूल्यांकन के लिए बोली दस्तावेजों में यथानिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद अभिनिश्चित बोली को;

(ग) जहां कोई वित्तीय कसौटी नहीं हैं, वहां चयनित गैर–वित्तीय कसौटी और बोली के मूल्यांकन के लिए बोली दस्तावेजों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य पैमानों के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद अभिनिश्चित बोली को,

सफल बोली समझेगी।

(2) कोई बोली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उस बोली के निबंधनों के अनुसार उपापन अनुमोदन के पश्चात् ही, उप–धारा (1) के निबंधनों के अनुसार सफल बोली मानी जायेगी।

(3) उपापन संस्था, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, जैसे ही किसी बोली को स्वीकार करने का विनिश्चय करती है तो वह समस्त भाग लेने वाले बोली लगाने वालों को इस तथ्य की संसूचना देगी और इस विनिश्चय को राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित करेगी।

(4) उपापन संस्था, बोली की स्वीकृति संसूचित करते समय, सफल बोली लगाने वाले को, उपापन संविदा पूर्ण करने के लिए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर–भीतर, किसी करार पर हस्ताक्षर करने या कोई प्रतिभूति देने, यदि आवश्यक हो, सहित अपेक्षाओं की पूर्ति करने की सलाह देगी।

ख. पद्धति

28. उपापन की पद्धति.– (1) इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई उपापन संस्था उपापन की विषय वस्तु का, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से उपापन कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) खुली प्रतियोगी बोली; या
(ख) सीमित बोली; या
(ग) द्वि–प्रक्रम बोली; या
(घ) एकल स्रोत उपापन; या
(ड.) इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम; या
(च) कोटेशनों के लिए अनुरोध; या
(छ) मौके पर क्रय; या
(ज) प्रतियोगी बातचीत; या
(झ) दर संविदा; या
(ञ) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपापन के सिद्धांतो का समाधान करने वाला और जिसको राज्य सरकार लोकहित में आवश्यक समझे, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपापन की कोई भी अन्य पद्धति।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपापन के विभिन्न प्रक्रमों और प्रकारों के लिए, इलैक्ट्रोनिक उपापन को अंगीकृत करना अनिवार्य घोषित कर सकेगी और ऐसी घोषणा पर, इस अधिनियम के अधीन लिखित संसूचना के लिए प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण की गयी समझी जायेगी यदि वह इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा की गयी है।

(3) उपापन की विषय वस्तु के उपापन में, प्रत्येक उपापन संस्था, उपापन की सुसंगत पद्धति के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाये।

29. खुली प्रतियोगी बोली.– (1) प्रत्येक उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली को, उपापन की सर्वाधिक अधिमानित पद्धति के रूप में अपनाये जाने के लिए अधिमान देगी।

(2) खुली प्रतियोगी बोली, धारा 32 के निबंधनों के अनुसार द्वि–प्रक्रम बोली, धारा 33 के निबंधनों के अनुसार इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम और धारा 36 के निबंधनों के अनुसार दर संविदा के मामले में भी अपनायी जा सकेगी।

(3) उपापन संस्था धारा 18 में विनिर्दिष्ट पूर्व–अर्हता प्रक्रिया का पालन कर सकेगी और केवल पूर्व–अर्ह बोली लगाने वालों में से ही बोली आमंत्रित कर सकेगी।

(4) जहां कोई उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न उपापन की कोई पद्धति चुनती है वहां वह इसके कारण और परिस्थितियां अभिलिखित करेगी।

(5) किसी खुली प्रतियोगी बोली के मामले में, कोई उपापन संस्था, राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली का आमंत्रण प्रकाशित करके और कम से कम एक ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाये, बोलियां आमंत्रित करेगी।

30. सीमित बोली.– (1) कोई उपापन संस्था, उपापन की विषय वस्तु उपाप्त कराने के लिए, सीमित बोली की पद्धति चुन सकेगी यदि,–

(क) उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय केवल बोली लगाने वालों की सीमित संख्या द्वारा ही किया जा सकता हो; या

(ख) बड़ी संख्या में बोलियों के परीक्षण और मूल्यांकन में अन्तर्वलित समय और लागत उपापन की विषय वस्तु के मूल्य के अनुरूप न हो सके; या

(ग) अकल्पित घटनाओं द्वारा घटित किसी अत्यावश्यकता के कारण उपापन संस्था की यह राय हो कि उपापन की विषय वस्तु, खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति अपनाकर उपयुक्त रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती हो; या

(घ) धारा 6 की उप–धारा (2) के निबंधनों के अनुसार, भावी बोली लगाने वालों के प्रवर्ग में से उपापन आवश्यक हो।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, सीमित बोली की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:–

(क) उपापन संस्था, बोली के लिए आमंत्रण सीधे ही लिखित में और उसी दिन,–

(i) उन समस्त बोली लगाने वालों को, जो उप–धारा (1) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय कर सकते हैं; या

(ii) उन समस्त बोली लगाने वालों को, जो उसी उपापन संस्था या जहां उपापन संस्था, धारा 19 की उप–धारा (5) के निबंधनों के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची का उपयोग करती है वहां किसी अन्य उपापन संस्था में उपापन की विषय वस्तु के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं; या

(iii) बोली लगाने वालों की किसी पर्याप्त संख्या को, जो उप–धारा (1) के खण्ड (ख) के मामले में, प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए किसी अविभेदकारी रीति से चयनित उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय कर सकते हों,

जारी करेगी;

(ख) कोई उपापन संस्था, समस्त भावी बोली लगाने वालों को अनुज्ञात कर सकेगी, जो उपापन के लिए अधिकथित अर्हता कसौटी को पूर्ण करते हैं, चाहे ऐसे किसी बोली लगाने वाले को बोली लगाने के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रण जारी किया गया हो या नहीं।

31. एकल स्रोत उपापन.– (1) कोई उपापन संस्था, एकल स्रोत रीति से उपापन की विषय वस्तु के उपापन का चयन कर सकती है यदि,–

(क) उपापन की विषय वस्तु केवल किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले से ही उपलब्ध हो, या उपापन की विषय वस्तु के संबंध में किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले को ऐसे अनन्य अधिकार हों कि कोई युक्तियुक्त वैकल्पिक या प्रतिस्थापक स्रोत अस्तित्व में न हो और इसलिए किसी अन्य उपापन रीति का प्रयोग संभव न हो; या

(ख) अचानक किसी अकल्पित घटना के कारण उपापन की विषय वस्तु की अत्यंत तत्काल आवश्यकता हो, और उपापन की किसी अन्य रीति से सम्बद्ध होना अव्यवहारिक होगा; या

(ग) उपापन संस्था, किसी प्रदाता से माल, उपस्कर, प्रौद्योगिकी या सेवाएं उपाप्त कर के यह अवधारित करे कि मानकीकरण के कारणों के लिए या विद्यमान माल, उपस्कर, प्रौद्योगिकी या सेवाओं की अनुरूपता की आवश्यकता के कारण उस प्रदाता से अतिरिक्त प्रदायों या सेवाओं को उपाप्त किया जाना चाहिए; या

(घ) उपापन की विषय वस्तु के लिए कोई विद्यमान संविदा हो जिसे अतिरिक्त माल, संकर्म या सेवाओं के लिए बढ़ाया जा सके और उपापन संस्था का यह समाधान हो जाये कि और प्रतियोगिता से कोई लाभ नहीं होगा, कीमतें युक्तियुक्त हैं और मूल संविदा में ऐसे विस्तार के लिए उपबंध विद्यमान हैं; या

(ड.) उपापन संस्था यह अवधारित करे कि उपापन की किसी अन्य रीति का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के संरक्षण के लिए समुचित नहीं है; या

(च) धारा 6 की उप–धारा (2) के निबंधनों के अनुसार किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले से उपापन आवश्यक हो; या

(छ) विषय वस्तु कलात्मक प्रकृति की हो; या

(ज) उपापन की विषय वस्तु ऐसी प्रकृति की हो, जो गोपनीयता बनाये रखने के लिए आवश्यक हो, जैसे परीक्षा के प्रश्न–पत्रों की छपाई।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, एकल स्रोत उपापन के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:–

(क) उपापन संस्था, किसी एकल भावी बोली लगाने वाले से किसी बोली की अभ्यर्थना करेगी;

(ख) उपापन संस्था, बोली लगाने वाले से सदभावपूर्वक बातचीत कर सकेगी।

32. द्वि–प्रक्रमी बोली.– (1) कोई उपापन संस्था किसी विषय वस्तु का उपापन द्वि–प्रक्रमी बोली की रीति से करने का चयन कर सकेगी यदि,–

(क) किसी उपापन संस्था के लिए, उपापन की विषय वस्तु हेतु बोली लगाने वालों से इसके तकनीकी पहलुओं से संबंधित आगम प्राप्त किये बिना, विस्तृत विनिर्देशों को बनाना या विनिर्दिष्ट लक्षणों की पहचान करना साध्य न हो; या

(ख) खुली प्रतियोगी बोली को असाध्य बनाने के लिए उपापन की विषय वस्तु का लक्षण ऐसे त्वरित प्रौद्योगिकी विकास और बाजार के उतार–चढ़ाव के अध्यधीन हो; या

(ग) उपापन संस्था, उसके सिवाय जहां संविदा में मदों का इतनी मात्राओं में उत्पादन सम्मिलित है जो उनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता स्थापित करने या अनुसंधान और विकास लागत वसूलने के लिए पर्याप्त हो,

अनुसंधान, प्रयोग, अध्ययन या विकास के प्रयोजन के लिए कोई संविदा कर सकेगी; या

(घ) बोली लगाने वाले से अपेक्षित है कि वह विस्तृत सर्वेक्षण या जांच करे और किसी विशिष्ट उपापन से संबंधित जोखिमों, लागत और बाध्यताओं के व्यापक निर्धारण का जिम्मा ले।

(2) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाये जायें, द्वि–प्रक्रमी बोली की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:–

(क) बोली प्रक्रिया के प्रथम प्रक्रम पर, कोई उपापन संस्था प्रस्तावित उपापन के तकनीकी पहलुओं और संविदा संबंधी निबंधनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करने वाली बोली बिना किसी बोली मूल्य के आमंत्रित करेगी;

(ख) प्रथम प्रक्रम की समस्त बोलियों का, जो अन्यथा पात्र हैं, उपापन समिति द्वारा गठित एक समुचित समिति के माध्यम से नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में, मूल्यांकन किया जायेगा;

(ग) समिति बोली लगाने वालों के साथ विचार–विमर्श कर सकेगी और यदि ऐसा कोई विचार–विमर्श किया जाता है तो समस्त बोली लगाने वालों को विचार–विमर्श में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जायेगा;

(घ) उपापन के सुसंगत निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण करते समय, उपापन संस्था उपापन के मौलिक स्वरूप को उपांतरित नहीं करेगी, किन्तु उपापन की विषय वस्तु के विनिर्देशों को या मूल्यांकन की कसौटी को जोड़, संशोधित या विलोपित कर सकेगी;

(ड़) धारा 29 और 30 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोली प्रक्रिया के द्वितीय प्रक्रम पर उपापन संस्था, उन समस्त बोली लगाने वालों से, जिनकी बोली प्रथम प्रक्रम पर नामंजूर नहीं हुई थी, उपापन के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षित समुच्चय के प्रत्युत्तर में बोली की कीमतों के साथ अन्तिम बोली प्रस्तुत करने के लिए, बोली आमंत्रित करेगी;

(च) कोई भी बोली लगाने वाला, जिसे बोली के लिए आमंत्रित किया गया हो, किन्तु वह विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण उपापन की विषय वस्तु के प्रदाय की स्थिति में न हो तो उपापन कार्यवाहियों से समुचित कारण से पीछे हटने के आशय की घोषणा करके बोली की प्रतिभूति, जो उसके द्वारा उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित हो, को जब्त करवाये बिना या किसी भी रूप में दण्डित हुए बिना, बोली की कार्यवाहियों से पीछे हट सकेगा।

33. इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम.– (1) कोई उपापन संस्था उपापन की किसी विषय वस्तु के इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम की रीति से उपापन का चयन कर सकेगी यदि,–

(क) उपापन संस्था के लिए उपापन की विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन तैयार कराना साध्य हो;

(ख) बोली लगाने वालों का एक प्रतियोगी बाजार हो, जिसका इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम में प्रतिभागी होने के लिए अर्ह होना, इस प्रकार संभावित हो कि प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित हो सके; और

(ग) सफल बोली अवधारित करने में उपापन संस्था द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले मापदण्ड मापयोग्य हैं और धन के रूप में अभिव्यक्त किये जा सकते हों।

(2) नियमों के अध्यधीन, जो इस निमित्त बनाये जायें, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:–

(क) उपापन संस्था, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम के लिए धारा 29 की उप–धारा (5) के अनुसार प्रकाशित या, यथास्थिति, धारा 30 की उप–धारा (2) के अनुसार जारी आमंत्रण द्वारा बोली आमंत्रित करेगी;

(ख) आमंत्रण में धारा 20 में यथा वर्णित सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित से संबंधित ब्यौरे सम्मिलित होंगे–

(i) नीलाम तक पहुंच और उसके लिए रजिस्ट्रीकरण;
(ii) नीलाम का खुलना और बन्द होना;
(iii) नीलाम के संचालन के मानक;
(iv) कोई भी अन्य सूचना जो उपापन की रीति से सुसंगत हो।

(3) इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम, धारा 32 के अधीन द्वि–प्रक्रमी बोली में सर्वोतम वित्तीय बोली अभिप्राप्त करने के लिए और जहां धारा 13 के निबंधनानुसार द्वि–भाग बोली प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, के लिए भी उपयोग में लायी जा सकती है।

34. कोटेशनों और मौके पर क्रय के लिए अनुरोध.– (1) उपापन संस्था निम्नलिखित स्थितियों में कोटेशन के लिए अनुरोध की रीति द्वारा किसी धनीय मूल्य, जो विहित किया जाये, से नीचे के मूल्य के उपापन की विषय वस्तु के उपापन का चयन कर सकती है, अर्थात्:–

(क) आसानी से उपलब्ध वाणिज्यिक रूप से तैयार माल का उपापन जो कि उपापन संस्था के विशिष्ट विवरण के लिए विशेष रूप से उत्पादित नहीं किये जाते हैं और जिसके लिए एक स्थापित बाजार है; या

(ख) भौतिक सेवाएं जो कि उपापन संस्था के विशेष विवरण के लिए विशेष रूप से मुहैया नहीं करायी जाती हैं और आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं; या

(ग) किसी माल या संकर्म या सेवाओं का उपापन जो कि अनुरक्षण या आपात मरम्मतों के लिए आवश्यक रूप से अपेक्षित हैं।

(2) इस निमित्त बनाये गये इन नियमों के अध्यधीन कोटेशन के लिए अनुरोध की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) कोटेशन इतने अधिक यथासाध्य संभावी बोली लगाने वालों से जो न्यूनतम तीन के अध्यधीन होंगे, मांगे जायेंगे;

(ख) प्रत्येक बोली लगाने वाले को केवल एक कोटेशन देने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(ग) कोटेशन के लिए अनुरोध में यथा उपवर्णित उपापन संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला न्यूनतम कीमत वाला कोटेशन सफल कोटेशन होगा।

(3) उपापन संस्था के भीतर के तीन सदस्यों से मिलकर बनी क्रय समिति के माध्यम से उपापन संस्था उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट उपापन की विषय वस्तु का मौके पर क्रय कर सकती है और ऐसे मामलों में क्रय समिति इस आशय का प्रमाण–पत्र

अभिलिखित करेगी कि यह समाधान हो गया है कि माल या सेवाएं अपेक्षित गुणवत्ता की हैं और प्रचलित बाजार दर के मूल्य की हैं।

(4) इस धारा के अधीन किये गये क्रयों पर धारा 5 से 10 (दोनों सम्मिलित), धारा 12 से 27 (दोनों सम्मिलित) और अध्याय 3 में की कोई बात लागू नहीं होगी।

35. प्रतियोगी बातचीत.– (1) उपापन संस्था प्रतियोगी बातचीत की रीति द्वारा उपापन की विषय वस्तु का चयन कर सकेगी, यदि–

(क) अकल्पित घटनाओं के द्वारा हुई अत्यावश्यकता को देखते हुए उपापन संस्था की यह राय हो कि खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाली रीति या किसी अन्य रीति को अंगीकृत कर उपापन की विषय वस्तु उपयोगी रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती; या

(ख) उपापन की विषय वस्तु में पशुधन, कपास, तिलहन या ऐसी अन्य कृषि उपज अन्तर्वलित हैं, जिनकी कीमतों में निरन्तर उतार–चढ़ाव होता है और उपापन संस्था की राय में उपापन की विषय वस्तु को खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाली रीति या किसी अन्य रीति को अंगीकृत कर उपयोगी रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन प्रतियोगी बातचीत के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) इस धारा के अधीन उपापन की विषय वस्तु का क्रय उपापन संस्था के भीतर क्रय समिति के माध्यम से किया जायेगा और ऐसे मामलों में क्रय समिति इस आशय का प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगी कि यह समाधान हो गया है कि उपापन की विषय वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता की है और प्रचलित बाजार दर की कीमत की है;

(ख) प्रभावी प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने के लिए अविभेदकारी रीति से पर्याप्त संख्या में चयनित संभावी बोली लगाने वालों को जो, तीन से कम न हों, उपापन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे;

(ग) बातचीत में भाग लेने के लिए समस्त बोली लगाने वालों को समान अवसर दिया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन किये गये क्रयों पर धारा 5 से 10 (दोनों सम्मिलित), धारा 12 से 27 (दोनों सम्मिलित) और अध्याय 3 में अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी।

36. दर संविदा.– (1) कोई उपापन संस्था इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार दर संविदा प्रक्रिया में संलग्न होने का चयन कर सकती है, जिसमें यह अवधारित किया जायेगा कि –

(क) दी गई समयावधि के दौरान उपापन की विषय वस्तु की आवश्यकता अनिश्चित या दुहराये गये आधार पर उत्पन्न होने की आशा की जाती है;

(ख) उपापन की विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर इसकी आवश्यकता दी गई समयावधि के दौरान उत्पन्न हो सकती है।

(2) उपापन संस्था इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाले के आधार पर या अन्य उपापन रीतियों के माध्यम से दर संविदा प्रदान कर सकती है।

(3) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन दर संविदा के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(क) वह रीति जिसमें अनुसरण की जाने वाली बोली की रीति के चयन को सम्मिलित करते हुए दर संविदा की जानी है; और

(ख) वह रीति जिसमें उपापन संविदा दर संविदा प्रक्रिया का उपयोग करते हुए की जानी है।

37. उपापन की रीतियों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शर्तें.– धारा 30 से 36 (दोनों सम्मिलित) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना के माध्यम से, ऐसी रीति से, जो कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता के सिद्धांतों से संगत है, धारा 28 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) से (झ) में उल्लिखित उपापन की किसी रीति के उपयोग के लिए शर्तों को जोड़ सकती है।

अध्याय 3
अपील

38. अपील.– (1) धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्रवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्रवाई या यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगाः

परन्तु धारा 27 के निबंधनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया हैः

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहां उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है, वहां वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन बोली अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा, जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा, जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगाः

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाये।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो, विहित किये जायें।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि–सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।

39. उपापन कार्यवाहियों को रोकना.– धारा 38 के अधीन अपील की सुनवाई के समय अपील सुनने वाला अधिकारी या प्राधिकारी इस निमित्त किये गये आवेदन पर और संबंधित पक्षकारों को सुनने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् अपील का निपटारा लंबित रहने तक उपापन कार्यवाहियों पर रोक लगा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा किये जाने में असफल होने पर घोर अन्याय होने की संभावना है।

40. कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी.– धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, अर्थात्:–

(क) धारा 5 के निबन्धनों में उपापन की आवश्यकता का अवधारण;

(ख) धारा 6 के उपबंधों के निबन्धनों में बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध;

(ग) यह विनिश्चय कि धारा 15 के निबन्धनों में बातचीत की जाये या नहीं;

(घ) धारा 26 के निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण;

(ड़) धारा 49 के अधीन गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

अध्याय 4
अपराध और शास्तियाँ

41. लोक उपापन के संबंध में परितोषण या मूल्यवान वस्तु लेने के लिए दण्ड.– जो कोई, उपापन संस्था का अधिकारी या कर्मचारी होने के कारण किसी भी उपापन प्रक्रिया के संबंध में कार्य करते हुए, ऐसे लोक उपापन के संबंध में, कोई भी पदीय कार्य करने या करने से प्रवरित रहने या अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में किसी भी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह या अननुग्रह दर्शाने या दर्शाने से प्रवरित रहने, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सेवा या अपकार देने या देने का प्रयास करने के लिए, किसी भी व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल, जो वह जानता है कि अपर्याप्त है, के लिए, स्वीकार करता है या अभिप्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, वह ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

42. उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप.– (1) जो कोई –

(क) किसी भी भावी बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले के लिए सदोष अभिलाभ या अनुचित लाभ को सुरक्षित करने के आशय से किसी भी उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या उस पर प्रभाव डालता है; या

(ख) किसी भावी बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले के लिए अनुचित अलाभ कारित करने के आशय से उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है; या

(ग) असम्यक् रूप से उचित प्रतियोगिता को निर्बंधित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कार्रवाई या सदस्यों को प्रभावित करने में लगता है; या

(घ) किसी उपापन संस्था या उसके किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी को आशयपूर्वक प्रभावित करता है या जानबूझकर या कपटपूर्वक कोई ऐसा प्राख्यान या व्यपदेशन करता है जो कि किसी उपापन प्रक्रिया में उचित प्रतियोगिता को निर्बंधित या मजबूर करेगा; या

(ड.) उपापन संस्था के किसी पूर्व अधिकारी या कर्मचारी को, ऐसे पूर्व अधिकारी या कर्मचारी के उस उपापन में, जिसमें नियोजक का हित था, सहयुक्त होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर, कर्मचारी, निदेशक, परामर्शी, सलाहकार या अन्यथा रूप में लगाता है; या

(च) उपापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से बोली घुमाने, दुस्संधिपूर्ण बोली लगाने या गैर–प्रतियोगी व्यवहार से लगता है; या

(छ) किसी असम्यक् अभिलाभ के लिए धारा 49 में निर्दिष्ट गोपनीयता को आशयपूर्वक भंग करता है,

ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने से भी, जो पचास लाख रूपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) बोली लगाने वाला, जो–

(क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है;

(ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है;

(ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन संविदा करने में असफल होता है;

(घ) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित, कार्य संपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है,

वह, बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध अवलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रुपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

43. तंग करने वाली अपीलें या परिवाद.– जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो बीस लाख रुपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

44. कम्पनियों द्वारा अपराध.– (1) इस अधिनियम के अधीन जहां कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा कारित किया जाता है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध कारित किये जाने के समय पर कम्पनी के कारबार के संचालन का प्रभारी था और उसके लिए कम्पनी के प्रति उतरदायी था, और साथ ही कम्पनी अपराध कारित किये जाने के लिए दोषी समझी जायेगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने के लिए दायी होगीः

परन्तु इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी दण्ड के लिए दायी होगा, यदि वह साबित कर देता है

कि अपराध उसके ज्ञान के बिना कारित किया गया था या कि ऐसे अपराध को कारित करने से रोकने के लिए उसने सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसे अपराध को कारित किये जाने का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(i) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई सीमित दायित्व भागिता, फर्म, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी, न्यास या अन्य व्यष्टि–संगम सम्मिलित है; और

(ii) सीमित दायित्व भागिता या फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

45. कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण.– जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है वह, उस अपराध के लिए उपंबधित दण्ड से दण्डनीय होगा चाहे वह अपराध उक्त दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कारित किया गया है या नहीं।

46. बोली लगाने से विवर्जन.– (1) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा यदि वह–

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 49) के अधीन; या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के,

किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख, जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।

(3) यदि उपापन संस्था यह पाती है कि किसी बोली लगाने वाले ने धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया है तो वह बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

(4) जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

(5) राज्य सरकार या, यथास्थिति, कोई उपापन संस्था इस धारा के अधीन किसी बोली लगाने वाले को तब तक विवर्जित नहीं करेगी जब तक कि ऐसी बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

47. अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का आवश्यक होना.– कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध, जिसका किसी लोक सेवक द्वारा अपने नियोजन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किया गया हो, का संज्ञान,–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जो राज्य के मामलात के संबंध में नियोजित है और राज्य सरकार की स्वीकृति के सिवाय अपने पद से हटाये जाने योग्य नहीं है, उस सरकार की;

(ख) किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में उसको पद से हटाने के लिए सक्षम अधिकारी की,

पूर्व सहमति के सिवाय, नहीं लगेगा।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

48. वृत्तिक मानकों, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की आवश्यकता.– राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उपापन संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने वाले पदधारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वृत्तिक मानक विहित कर सकेगी और उसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण आवश्यकताएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

49. गोपनीयता.– (1) इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, किन्तु जानकारी के प्रकटीकरण का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था किसी सूचना को प्रकट नहीं करेगी, यदि ऐसे प्रकटीकरण से, उसकी राय में,–

(क) किसी भी विधि के प्रवर्तन में अड़चन आने;

(ख) भारत की सुरक्षा या सामरिक हितों के प्रभावित होने;

(ग) बोली लगाने वालों के बौद्धिक सम्पति संबंधी अधिकारों या विधिसम्मत, वाणिज्यिक हितों के प्रभावित होने;

(घ) उपापन संस्था के विधिसम्मत् वाणिज्यिक हितों के, उन स्थितियों में, जिनमें वह स्थिति सम्मिलित है, जब उपापन किसी ऐसी परियोजना से संबंधित हो, जिसमें उपापन संस्था को कोई प्रतियोगी बोली लगानी हो, या उपापन संस्था के बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकारों के प्रभावित होने,

की संभावना है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया से संबंधित समस्त संसूचना को बोली लगाने वालों के साथ ऐसी रीति से बरतेगी ताकि प्रतियोगी बोली लगाने वालों या किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति, जो ऐसी सूचना तक पहुंच रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, को उसके प्रकटीकरण से बचा जा सके।

(3) उपापन संस्था, बोली लगाने वालों और उप–संविदाकरों, यदि कोई हों, पर उपापन संविदा के निबंधनों के पूरा करने के लिए सूचना, जिसके प्रकटीकरण से उप–धारा (1) का अतिक्रमण होता है, के संरक्षण के उद्देश्य से शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।

50. राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ.– (1) राज्य सरकार राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी, जिसका प्रमुख कोई ऐसा अधिकारी होगा जो शासन सचिव से अनिम्न रैंक का हो।

(2) राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 17 के अधीन स्थापित राज्य लोक उपापन पोर्टल का संधारण करना और उसको आदिनांकित करना;

(ख) धारा 48 के निबंधनों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(घ) लोक उपापन संबंधित मामलों के संबंध में उपापन संस्थाओं को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों से संगत मार्गदर्शन देना;

(ड.) लोक उपापन के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करना और मानक बोली दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों की सिफारिश करना;

(च) धारा 28 की उप–धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्थाओं को इलैक्ट्रोनिक उपापन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना; और

(छ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों से संगत ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जायें।

(3) राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को, किसी उपापन संस्था या किसी भी अन्य व्यक्ति से, लिखित नोटिस द्वारा, ऐसी सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हो, भेजने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

51. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण.– (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन या अनुसरण में कार्य करने वाली किसी उपापन संस्था का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति का कोई भी सदस्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

(2) कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन किसी भी कृत्य के निर्वहन में कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या किसी भी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य द्वारा कारित या कारित होना संभाव्य किसी भी हानि या नुकसानी के लिए नहीं होंगी जो सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में किया गया है या किये जाने के लिए आशयित है।

(3) इस धारा के प्रयोजनार्थ "सद्भाव" का वही अर्थ होगा जो उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 52 के अधीन समनुदेशित किया गया है।

52. अन्य विधियों का लागू होना.– इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

53. अधिनियम के अधीन संदेय राशियों की वसूली.– इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा संदेय कोई भी राशि भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

54. नोटिस, दस्तावेजों और आदेशों की तामील.– (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई नोटिस, दस्तावेज या आदेश–

(क) किसी भी व्यष्टि पर उसे–

(i) उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करके; या

(ii) उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास–स्थान या कारबार के पते पर छोड़ कर या डाक द्वारा भेजकर;

(ख) उसे किसी निगमित निकाय पर, उस निगमित निकाय के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर छोड़कर या डाक द्वारा भेजकर,

तामील किया हुआ समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जब उप–धारा (1) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये तो तामील, दस्तावेज, नोटिस या, यथास्थिति, आदेश समुचित रूप से संबोधित करके, तैयार करके और डाक में डालकर, की गयी समझी जायेगी।

55. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.– (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और उपापनों या उपापन संस्थाओं के विभिन्न वर्गों या प्रवर्गों के लिए भिन्न–भिन्न नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:–

(i) धारा 4 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत आने वाले उपापन;

(ii) धारा 5 के अधीन उपापन के लिए आवश्यकता का अवधारण करते समय विनिश्चित किये जाने वाले मामले;

(iii) परिस्थितियां, जिनमें धारा 6 के अधीन बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित किया जा सकेगा;

(iv) धारा 7 के अधीन हित के विरोध की स्थितियों की पहचान और उनसे निपटना;

(v) धारा 7 की उप–धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन बोली लगाने वालों द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त अर्हताएं;

(vi) धारा 9 के अधीन उपापन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों की समय–सीमा;

(vii) धारा 10 की उप–धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन रखी जानी अपेक्षित उपापन कार्यवाहियों की सूचना या अभिलेख;

(viii) धारा 11 के अधीन सत्यनिष्ठा संहिता;

(ix) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का विवरण तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत;

(x) धारा 14 की उप–धारा (1) के अधीन मूल्यांकन की कसौटी;

(xi) धारा 14 की उप–धारा (2) के अधीन परीक्षणों और जांचों का अभिलेख रखना;

(xii) धारा 15 के अधीन कीमत की बातचीत से संबंधित उपबंध;

(xiii) धारा 16 के अधीन उपापन संविदाओं के निबंधन और शर्तें;

(xiv) धारा 17 के अधीन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना;

(xv) धारा 18 के अधीन पूर्व–अर्हता के लिए प्रक्रिया;

(xvi) धारा 19 के अधीन बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और शर्तें;

(xvii) धारा 20 के अधीन बोली दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु से संबंधित उपबंध;

(xviii) धारा 20 की उप–धारा (3) के अधीन बोली दस्तावेजों के प्ररूप सहित उनकी मानक शर्तें;

(xix) धारा 24 के अधीन, इन प्रयोजनों के लिए समितियां गठित करने सहित, बोलियाँ प्रस्तुत करने, खोलने, और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया;

(xx) धारा 28 के अधीन उपापन की विभिन्न पद्धतियों के संबंध में प्रक्रिया;

(xxi) धारा 29 की उप–धारा (5) के अधीन बोली के प्रकाशन की रीति;

(xxii) धारा 34 के अधीन कोटेशनों और मौके पर क्रय अनुरोधों के माध्यम से उपापन के लिए धनीय–मूल्य से संबंधित उपबंध;

(xxiii) धारा 38 के अधीन अपीलों के लिए प्ररूप, रीति और फीस;

(xxiv) धारा 38 के अधीन अपील सुनते समय अनुसरण की जाने वाली कार्रवाई;

(xxv) धारा 48 के अधीन उपापन मामलों में कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों के लिए वृत्तिक मानक, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण;

(xxvi) बोली प्रतिभूतियों, कार्यसंपादन प्रतिभूतियों, संकर्मों के निरीक्षण, मालों और सेवाओं के निरीक्षण, बोलियों के उपान्तरण और प्रत्याहरण और संविदा प्रबन्धन से संबंधित उपबंध;

(xxvii) कोई भी अन्य विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेंगे, तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण से उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

56. मार्गदर्शक सिद्वांत जारी करने की शक्ति.– (1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रभावी करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया या साधारण प्ररूपों या मानक विनिर्देशों और निदेशिका के ब्यौरे देते हुए मार्गदर्शक सिद्वांत जारी कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये समस्त मार्गदर्शक सिद्वांत, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे मार्गदर्शक सिद्वांत में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प पारित करता है कि ऐसे कोई मार्गदर्शक सिद्वांत नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे मार्गदर्शक सिद्वांत केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेंगे, तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण से उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

57. कठिनाइयों का निराकरण.– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

58. छूट देने की शक्ति.– (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा और ऐसे आदेश में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी उपापन या उपापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या उपापन संस्था के किसी वर्ग या प्रवर्ग को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दे सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

59. व्यावृत्तियाँ.– इस अधिनियम में उपबंधित किये गये मालों, सेवाओं या संकर्मों के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं, विभागीय संहिताएं, निदेशिकाएं, उप–विधियाँ, कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त हो, उनके इस अधिनियम के उपबंधों से संगत होने की सीमा तक तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि उनको इस अधिनियम के अधीन बनाये या जारी किये गये किसी भी नियम, मार्गदर्शक सिद्वांत, अधिसूचना या, यथास्थिति, आदेश द्वारा निरसित या अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।